

प्रेषक,

ममता श्रीवास्तव,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

सचिव,
कानूनीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुमति
प्रिषण-

मारहरा पालिक रसूल मारहरा एटा को सीधी0एस0ई0 नईदिल्ली से सबद्धता।
उक्त अनापति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महादय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का
निवेदा हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सीधी0एस0ई0 नईदिल्ली से भवित्वात हेतु
अनापति प्रमाण पत्र दिये जाने वे इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रिया के अधीन
आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नीतीनिकरण कराया
जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रक्रम समीति ने शिक्षा निदेशक द्वारा नमित एक संदर्भ होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत छान्त अनुमति जाते / जनजाति के
मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ090 माध्यमिक शिक्षा
परिषद / वैसिक शिक्षा परिषद द्वारा सचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं
के लिए नियरित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) सरका हारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और
यह पूर्ण में विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा
विद्यालय की सबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजन्क्यूशन नईदिल्ली /
कौसिल फार दि इंडियन रसूल स्टाफिकेट इकज़मिकेशन नईदिल्ली से
प्राप्त होती है तो उस परिका परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से
उ090 माध्यमिक शिक्षा परिषद परिषदों से संबद्धता प्राप्त होती है तथा राज्य सरकार से
प्राप्त अनुदान रखत समाप्त हो जायेगा।
- (5) सरका के शैक्षिक एवं शिक्षणोंतर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त
शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमति देतनामनी तथा अन्य भूतों से
कम देतनामन तथा अन्य भूतों द्वारा नहीं दिये जायेगा।

—2—

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त
अनुमति उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्य
सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्धारित किये जायेंगे
संख्या उनका पालन करेंगे।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड नियरित प्रपत्र परिज्ञाओं में रखा जायेगा।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के दिन कोई परिवर्तन /
संशोधन / परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

- 2- उक्त प्रतिक्रियों का पालन करना सरका के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी
समय यह पाया जाता है कि सरका द्वारा उक्त प्रतिक्रियों का पालन नहीं किया जा रहा है
अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चुक्क या शिथितता बरती जाती है तो राज्य सरकार
द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।
- भविष्य।

(ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव।

सरका-1466(1) / 15-7-2009 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सहनार्थ एवं आवश्यक कारबाही हेतु प्रेषित।

- 1- शिक्षा निदेशक (स0) उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2- शहरीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा।
- 4- निरीक्षक, आल भारतीय विद्यालय, उ0प्र० लखनऊ।
- 5- प्रब्रह्म, मारहरा पालिक स्कूल मारहरा, एटा।
- 6- गाँड़ ढुक।

आइा से,
(ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव।


Principal
Marehra Public School
Affiliated to CBSE New Delhi
Aff. No. 2131124
Sector 80, Marehra-Etah (U.P.)